

अज अवालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम-रूपनगढ़, जिला-अजमेर

नोरती पेवी

बनाम

ओमप्रकाश

नम्बर- 16 वर्ष-2024

राजस्थान-212 राजस्थान कारतकारी अधिनियम

कार्य वृत्त	वृत्त या कार्यवाही गम इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस वृत्त की तारीख में जारी हुए
21.03.2024	<p>यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री ओमप्रकाश खोरवाल ने अन्तर्गत धारा-212 रा0 का0 अधि0 के तहत पेश किया गया। वकील प्रार्थी की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत एकतरफा महसुस सुनी गई। प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न दरतावेजात का अवलोकन किया गया। दरतावेजात के अवलोकन से स्पष्ट प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। तदनुसार ग्राम करकेंडी के ख0न0 1450/598 एकबा 1.0031 है0, ख0न0 598 एकबा 1.4885 है0, ख0न0 632 एकबा 6.1403 है0, ख0न0 510 एकबा 2.2894 है0, ख0न0 511 एकबा 0.1779 है0 ख0न0 1276/296 एकबा 4.6193 है0, ख0न0 1279/305 एकबा 2.6130 है0, ख0न0 296 एकबा 2.8395 है0, ख0न0 1458/632 एकबा 0.0647 है0, ख0न0 1460/632 एकबा 0.1618 है0, ख0न0 597 एकबा 0.0323 है0, ख0न0 631 एकबा 0.2103 है0, ख0न0 516 एकबा 0.0970 है0, ख0न0 517 एकबा 1.2863 है0 व ख0न0 518 एकबा 0.0404 है0 भूमि में अप्रार्थी संख्या 6 के हिस्से तक की भूमि में अप्रार्थी संख्या 4,8 को राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु आगामी तारीख पेशी तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। वकील प्रार्थीगण आदेश 39 नियम 3 सी0पी0सी0 की पालना सुनिश्चित करेंगे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 02.05.2024 को पेश हो।</p>	<p>2-5-24</p> <p>पत्रावली पेश हुई व वकील प्रार्थी तलबी जारी होकर पत्रावली दिनांक 6-6-24 को पेश हो।</p> <p>6-6-24 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी अनुपस्थित। मूल बाद अदम हाजरी। अदम पेशी में खारिज किया जा चुका है, इस कारण उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फंसल शुमार होकर अम्बर से कम हो।</p>

[Signature]
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

[Signature]
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)



[Signature]
उपखण्ड अधिकारी
(अजमेर)